

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ 241 /2025 दिनांक :29.08.2025

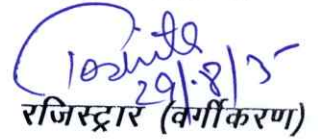
इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)/स.प.अ./174/2025 दिनांक 12-06-2025 की निरन्तरता में श्रीमती नीति वर्मा (RJ00984), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर महानगर-प्रथम को दिनांक 31.08.2025 से 10.10.2025 तक 41 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 11.10.2025 से 12.10.2025 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती नीति वर्मा के उक्त संतान परवरिश अवकाश की अवधि के दौरान उनके न्यायालय का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारी को निम्नानुसार पदस्थापित/नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं:-

क. स.	अधिकारी, जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया -	न्यायालय जिसका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया -
01.	श्री कुलदीप मस्तान (RJ00998), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, जयपुर महानगर-प्रथम।	श्रीमती नीति वर्मा (RJ00984), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर महानगर-प्रथम

1. ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है एवं उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे।
2. श्री कुलदीप मस्तान (RJ00998), जिनको अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है।

आज्ञा से

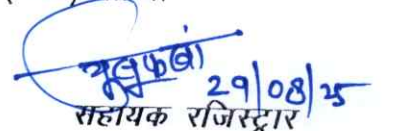

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2 (4)/149/2015/ 2659

दिनांक 29.08.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 3611 दिनांक 07.08.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नीति वर्मा (RJ00984), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर महानगर-प्रथम।
4. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-02, जयपुर महानगर-प्रथम।
5. श्री कुलदीप मस्तान (RJ00998), अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, जयपुर महानगर-प्रथम।
6. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कम-03, जयपुर महानगर-प्रथम।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।


सहायक रजिस्ट्रार